संख्या-13/2024/349/23-2-24/001-15(सा0)/24

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च,2024

विषय:- जनपद अमरोहा में मुख्यालय में रिंग रोड/बाईपास मार्ग (अन्य जिला मार्ग-36) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में भूमि क्रय किये जाने हेतु भूमि अध्याप्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-7721/सी0ई0-एच0क्यू0-1/लैण्ड ए0सी0क्यू0/एम0बी0डी0/2023-24, दिनांक 20.02.24 एवं पत्र संख्या-10668 बी0जी0/07 बी0/ मांग-भूमि प्रतिकर/2023-24, दिनांक 18.03.24 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अमरोहा में मुख्यालय में रिंग रोड/बाईपास मार्ग (अन्य जिला मार्ग-36) चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य में भूमि क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-16/2021/802/23-2-2021, दिनांक 28.12.2021 द्वारा धनराशि रू0 20.00 लाख निर्गत किया गया है। उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 लेखाशीर्षक 5054-04-337-13-20-60 के योजनान्तर्गत चालू कार्यों की मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 20.53 लाख (रूपये बीस लाख तिरपन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2024 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिये किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि एक मुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3)- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5)- यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6)- प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7)- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण संबंधी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/ शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 20.53 लाख (रूपये बीस लाख तिरपन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-13-एकमुश्त व्यवस्था-1320-मार्ग एवं लघु सेतु के चालू कार्यों के लिए भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)-60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

संख्या-13/2024/349(1)/23-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, अमरोहा।
4- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अमरोहा।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/7
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।